Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

छत्तीसगढ़ सरकार के नोटिफिकेशन को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के डबल बेंच के समक्ष चुनौती दी गई

आईटीआई कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा के द्वारा मांगी गई थी सुचना

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

आईटीआई कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार के इस नोटिफिकेशन को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के डबल बेंच के समक्ष चुनौती दी गई. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के द्वारा इस याचिका को स्वीकार कर राज्य सरकार से जवाब की मांग की गई. जवाब आने के पश्चात उभय पक्ष के द्वारा प्रकरण में बहस के समय याचिका करता ने उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस वाले अगुवाई के बेंच को बताया कि उसने छत्तीसगढ़ सरकार के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया है, इस कारण यह डबल बेंच में प्रस्तुत किया गया है. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के द्वारा इस तथ्य को अस्वीकार करते हुए याचिका निरस्त कर दी गई और याचिका करता राजकुमार मिश्रा के ऊपर यह टिप्पणी की गई की याचिका करता जनहित याचिकाओं के मामले में नए व्यक्ति नहीं है उन्हें जनहित याचिकाओं के संबंध में अच्छी जानकारी है इस कारण यह याचिका निरस्त की जाती है.

आईटीआई कार्यकर्ता श्री राजकुमार मिश्रा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के इस आदेश से दुखी होकर उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में इस आदेश को चुनौती दी. सर्वोच्च न्यायालय में लंबी सुनवाई के पश्चात आदेश किया गया कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय इस याचिका को पुन: सुने.

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12 सितंबर 2023 को इस प्रकरण की सुनवाई हुई जिसमें याचिका करता अपने पक्ष की पैरवी स्वयं करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जस्टिस संजय के अग्रवाल के अगुवाई वाले डबल बेंच में उपस्थित हुए. राजकुमार मिश्रा ने न्यायालय को बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 24(4) का मानना है कि देश का कोई भी संस्था भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के हनन से संबंधित सूचना देने से इनकार नहीं कर सकती उसके विपरीत राज्य सरकार के द्वारा 1 अगस्त 2013 को सूचना का अधिकार से एंटी करप्शन ब्यूरो को मुक्तकर दिया है जो की विधि विरुद्ध है. याचिका करता के द्वारा अपने तर्क में न्यायालय को बताया गया कि छत्तीसगढ़ एंटी करप्शन ब्यूरो सभी भ्रष्टाचार के मामलों की जांच ही करती है, इसके अलावा और दूसरे किसी भी तरह के अपराध की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा नहीं की जाती. इस प्रकरण को विस्तृत रूप से न्यायालय ने सुना राज्य सरकार इस प्रकरण का विरोध करती रही. राज्य सरकार का मानना है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन सही है.

सुचना में क्या जानकारी मांगी गई थी

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19 व दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत अभियोजन की स्वीकृति के लिए लंबित है इन प्रकरणों में औपचारिक अधिकारियों कर्मचारियों का नाम, पदनाम, अपराध की धाराएं, अपराध का प्रकार की जानकारी यदि इस संस्था को उक्त अधिनियम से छूट प्राप्त है तो वह अधिसूचना निर्देश नियम के दस्तावेजों की प्रति की मांग की गई थी.

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के डबल बेंच के द्वारा दिनांक 12 सितंबर 2023 को ऑर्डर को रिजर्व कर लिया 2023 को जारी किया गया है.

⑧ (Anne-P/2)

प्रति,

लोक सूचना अधिकारी
कार्या. ए.सी.बी. सिविल लाईन, रायपुर छ0ग0।
द्वारा- श्री मुकेश गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, ए.सी.बी. सिविल लाईन, रायपुर छ0ग0।
आवेदन पत्र अंतर्गत-सूचना का अधिकार अधिनियम-2005
संलग्न-पंजीयन शुल्क चालान राशि-10 रू0 की मूलप्रति।

नोट:- (निम्न 5 बिंदुओं का नोट प्रस्तुत आवेदन का हिस्सा नही है।)

1. उक्त अधिनियम की धारा-6(3)(अ) और (ब) के अनुसार प्रस्तुत आवेदन संबंधित विभाग को अंतरिम की जा है और यह अंतरण आवेदन प्राप्ती से 5 दिनों के भीतर कर इस अंतरण की एक प्रति मुझे देना होगा।
2. उक्त अधिनियम की धारा-7(8) के अनुसार प्रस्तुत आवेदन के जवाब में आप अपने प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम व पूर्ण पता प्रदान करेंगें।
3. छ0ग0 शासन के आदेश क्र-3610/जी.1646 दि.-30.12.2011 व 44/जी.1646 दि.-09.01.2013 के अनुसार जन सूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी अपने जबाव/प्रदान की गयी जानकारी में अपना नाम अवश्य लिखें।
4. उक्त अधिनियम की धारा-8(1) के अंतिम पारा के अनुसार जो जानकारी संसद/विधान सभा को देने से इंकार नही किया जा सकता उससे आम जनता को भी इंकार नही किया जायेगा। इस कारण प्रस्तुत आवेदन का वांछित जानकारी मुझे देने से इंकार करने के पहले आप तय कर लें कि क्या इसे संसद/विधान सभा को नही दिया जा सकता।
5. निम्न वांछित जानकारी उक्त अधिनियम की धारा-4(1)ब तथा इस संबंध में मेरे ही जनहित याचिका WP(PIL) 35/2012 (Raj Kumar Mishra v/s Chief Information Officer & Ors.) के आदेश दिनांक-24.09.2012 के अनुसार आपके वेबसाइट में होना चाहिए।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत् आपके विभाग में 3 माह से अधिक समय से कितने प्रकरण (पी.सी. एक्ट 1988 की धारा 19 व दं.प्र.सं. की धारा 197 के तहत्) अभियोजन की स्वीकृति के लिए लंबित है, इन प्रकरणों में अपचारी अधिकारियों/कर्मचारियों का नाम, पदनाम, अपराध की धाराऐं, अपराध का प्रकार की जानकारी, यदि इस संस्था को उक्त अधिनियम से छुट प्राप्त है तो वह अधिसूचना/निर्देश/नियम के दस्तावेजों की जानकारी। पर्यावरण व कागज के बचत के लिए समस्त वांछित जानकारी मुझे निम्न ईमेल आई डी पर प्रदान की जाय।

उक्त नोट की कंडिका 5 के अनुसार आप अपना बेवसाईट बतायें जहां यह वांछित जानकारी अपलोड किया गया है।

चिरमिरी
दिनांक-02.11.2016

आरटीआई कार्यकर्त्ता
राजकुमार मिश्रा
हल्दीबाड़ी, चिरमिरी, जिला-कोरिया छ0ग0
मो0-09406363699
ईमेल-rtichrm@gmail.com

छत्तीसगढ़ सरकार के एंटी करप्शन ब्यूरो बहुत से बड़े अधिकारी और राजनेताओं के अपराधों को पब्लिक की नजर में लाने से बचाती है

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा इस याचिका में 25 से ज्यादा न्याय दृष्टांतों का उल्लेख किया गया है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का यह आदेश 35 पेज में है. इस याचिका के आदेश में भ्रष्टाचार की विस्तृत परिभाषा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा बताई गई है और अपने आदेश के निष्कर्ष में स्वीकार किया गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन दिनांक १ अगस्त 2013 त्रुटि पूर्ण है इसे राज्य सरकार आदेश दिनांक से 3 हफ्ते के भीतर सुधार करें और आईटीआई कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा के द्वारा प्रस्तुत किए गए सूचना के अधिकार के आवेदन के निराकरण एंटी करप्शन ब्यूरो इस आदेश से चार हफ्ता के भीतर करें अर्थात आवेदक को जानकारी प्रदान करें.

माना जा रहा है कि यह आदेश छत्तीसगढ़ सरकार के नाक में दम करेगा. यह आदेश नजीर बनेगा और इसका उल्लेख दूसरे राज्यों में भी किया जाएगा ऐसा माना जाता है कि छत्तीसगढ़ सरकार के एंटी करप्शन ब्यूरो बहुत से बड़े अधिकारी और राजनेताओं के अपराधों को पब्लिक की नजर में लाने से बचाती है इस आदेश के बाद देखते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट जाती है इस आदेश को चुनौती देते हुए अथवा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आदेश का पालन करती है.

⑨

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, एन्टी करप्शन ब्यूरो,रायपुर छत्तीसगढ़ (Anne-P/3)

क्रमांक-पुअ/एसीबी/अतिपुअ0/ 9758 /2016 रायपुर, दिनांक-24.11.2016

प्रति,

श्री राजकुमार मिश्रा (आर.टी.आई. कार्यकर्ता),
हल्दीबाड़ी, चिरमिरी,
जिला-कोरिया (छ.ग.)
मोबाईल नंबर- 9406363699

विषय :- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 विषयक।

संदर्भ :- आपका पत्र दिनांक 02.11.2015 जो इस कार्यालय को अंतरण के माध्यम से दिनांक 22.11.2016 को प्राप्त हुआ है जिसका प्राप्ति क्रमांक- 9700 दिनांक 22.11.2016 है।

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत आपका संदर्भित पत्र ब्यूरो कार्यालय को अंतरण के माध्यम से दिनांक 22.11.2016 को प्राप्त हुआ है। आपके द्वारा प्रेषित आवेदन जन सूचनाधिकारी, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो छ.ग. रायपुर को प्राप्त होने उपरांत उनके द्वारा अंतरण के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन में " सूचना का अधिकार अधिनियम -2005 के तहत् आपके विभाग में 03 माह से अधिक समय से कितने प्रकरण (पी.सी.एक्ट 1988 की धारा 19 व दं.प्र.सं. की धारा 197 के तहत्) अभियोजन की स्वीकृति के लिए लंबित है। इन प्रकरणों में अपचारी अधिकारियों/कर्मचारियों का नाम, पद नाम, अपराध की धाराऐं, अपराध का प्रकार की जानकारी, यदि इस संस्था को उक्त अधिनियम से छूट प्राप्त है तो वह अधिसूचना/निर्देश/नियम के दस्तावेजों की जानकारी । पर्यावरण व कागज के बचत के लिये समस्त वांछित जानकारी मुझे निम्न ई-मेल आईडी पर प्रदान की जाये। उक्त नोट की कण्डिका 05 के अनुसार आप अपना वेबसाईट बताये जहा यह वांछित जानकारी अपलोड किया गया है।" लेख करते हुये जानकारी चाहा गया है।

उक्त के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि, राज्य शासन द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधान से छूट प्रदान किया गया है। जो राज्य शासन का आदेश-"छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 7-16/2005/1-सूअप्र रायपुर दिनांक 01.08.2013 है।" उक्त आदेश के प्रकाश में सूचना अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी जा रही है। आदेश की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न है। सादर सूचनार्थ। (E-Mail I.D. - rtichrm@gmail.com पर भी send किया गया है)

संलग्न- उपरोक्तानुसार छूट संबंधी अधिसूचना की छायाप्रति कुल 01 पृष्ठ।

24/11/16

(मनोज कुमार खिलारी)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
एन्टी करप्शन ब्यूरो,
रायपुर (छ0ग0)

पृ. क्रमांक-पुअ/एसीबी/अतिपुअ0/ /2016 रायपुर, दिनांक-24.11.2016

प्रतिलिपि- श्री शाहिद अली, जनसूचना अधिकारी, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों, छ.ग. रायपुर, जी.ई. रोड़, तेलीबांधा, जय जवान पेट्रोल पंप के सामने रायपुर छ.ग. की ओर उनके अंतरण संबंधी पत्र कमांक-/ब्यूरो/राय./जसू./3339/2016 रायपुर, दिनांक 21.11.2016 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

(मनोज कुमार खिलारी)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
एन्टी करप्शन ब्यूरो,
रायपुर (छ0ग0)

आवेदक को जानकारी प्रदान नहीं किया गया साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग नोटिफिकेशन की प्रति संलग्न कर प्रेषित किया

आईटीआई कार्यकर्ता के इस आवेदन पर एंटी करप्शन ब्यूरो छत्तीसगढ़ के पुलिस अधीक्षक शाखा द्वारा यह लेख किया गया कि राज्य शासन द्वारा एंटी करप्शन ब्यूरो को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधान से छूट प्रदान किया गया है, जो राज्य शासन का आदेश छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 1 अगस्त 2013 है इस आलोक में आवेदक को जानकारी प्रदान नहीं किया गया साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 1 अगस्त 2013 को जारी किया गया नोटिफिकेशन की प्रति संलग्न कर प्रेषित किया गया.

सूचना का अधिकार

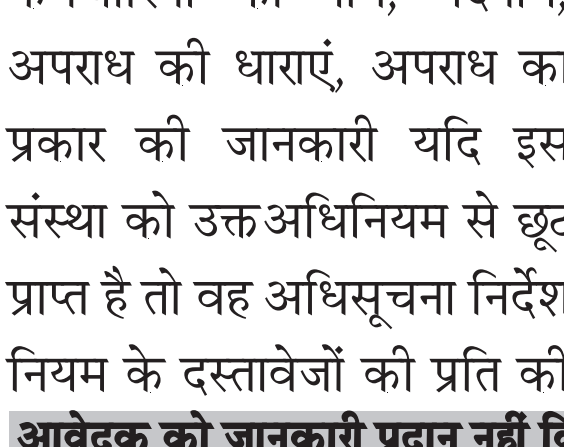

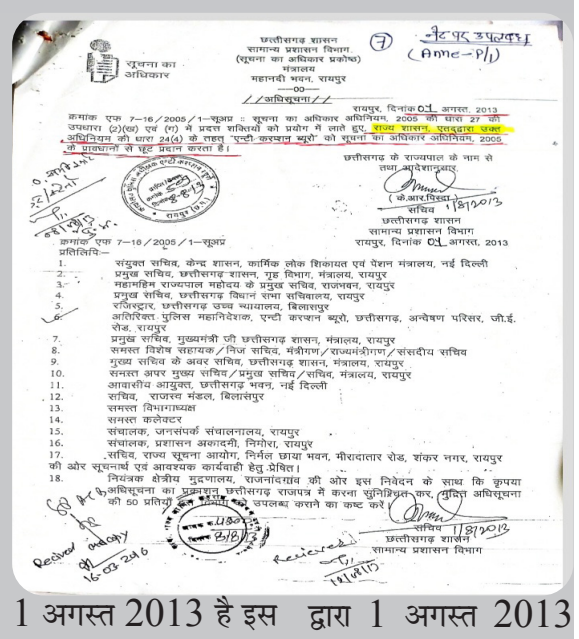

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
महानदी भवन, रायपुर
---00---
//अधिसूचना//

⑦ नेट पर उपलब्ध (Anne-P/1)

रायपुर, दिनांक 01 अगस्त, 2013

क्रमांक एफ 7-16/2005/1-सूअप्र :: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 27 की उपधारा (2)(ख) एवं (ग) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 24(4) के तहत "एन्टी करप्शन ब्यूरो" को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों से छूट प्रदान करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
(के.आर.पिस्दा)
सचिव 1/8/2013
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ 7-16/2005/1-सूअप्र रायपुर, दिनांक 01 अगस्त, 2013

प्रतिलिपिः-

1. संयुक्त सचिव, केन्द्र शासन, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, रायपुर
3. महामहिम राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर
4. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर
5. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
6. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एन्टी करप्शन ब्यूरो, छत्तीसगढ़, अन्वेषण परिसर, जी.ई. रोड, रायपुर
7. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर
8. समस्त विशेष सहायक/निज सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
9. मुख्य सचिव के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर
10. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मंत्रालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. सचिव, राजस्व मंडल, बिलासपुर
13. समस्त विभागाध्यक्ष
14. समस्त कलेक्टर
15. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
16. संचालक, प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर
17. सचिव, राज्य सूचना आयोग, निर्मल छाया भवन, मीरादातार रोड, शंकर नगर, रायपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

18. नियंत्रक क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर इस निवेदन के साथ कि कृपया अधिसूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में करना सुनिश्चित कर, मुद्रित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सचिव 1/8/2013
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

Recived office copy 16-03-2016

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12 सितंबर 2023 को इस प्रकरण की सुनवाई हुई

छत्तीसगढ़, चिरमिरी निवासी आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा के रिट याचिका पर छत्तीसगढ़ सरकार का सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(4) पर 1 अगस्त 2013 को जारी किया गया नोटिफिकेशन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन कर सरकार को ठीक ढंग से नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश किया गया है माना जाता है की सूचना के अधिकार पर यह एक महत्वपूर्ण फैसला है जिसमें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 25 न्यायदृष्टांत का उल्लेख किया है.

आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा के द्वारा 2 नवंबर 2016 को सूचना का अधिकार पर एक आवेदन प्रस्तुत कर छत्तीसगढ़ के एंटी करप्शन ब्यूरो से जानकारी मांगा गया था कि आपके विभाग में ३ माह से अधिक समय से कितने प्रकरण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19 व दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत अभियोजन की स्वीकृति के लिए लंबित है इन प्रकरणों में औपचारिक अधिकारियों कर्मचारियों का नाम, पदनाम, अपराध की धाराएं, अपराध का प्रकार की जानकारी यदि इस संस्था को उक्त अधिनियम से छूट प्राप्त है तो वह अधिसूचना निर्देश नियम के दस्तावेजों की प्रति की मांग की गई थी.

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
CIVIL APPELLATE JURISDICTION

CIVIL APPEAL NO. OF 2023
(Special Leave to Appeal (C) No(s).3576-3577/2023)

RAJKUMAR MISHRA — APPELLANT

VERSUS

SUPERINTENDENT OF POLICE ANTI CORRUPTION BUREAU (ACB) & ANR. — RESPONDENT

O R D E R

Leave granted.

Heard the appellant appearing in person and the learned counsel appearing for respondent.

In view of the statement recorded in earlier order that the appellant has rectified all office objections in writ petition filed by him, by setting aside the impugned order dated 22.11.2018, we restore the writ petition filed by the appellant to the file of the High Court. The High Court may proceed to decide the same in accordance with law.

The appeals are accordingly allowed.

Pending application(s) if any, shall stand disposed of.

..................J.
(ABHAY S. OKA)

..................J.
(SANJAY KAROL)

NEW DELHI;
JULY 7, 2023.

अपने क्षेत्र में समस्याएं हमें लिखे या बताएँ
और समस्याएं का हल संबंधित विभाग से मिलेगा
मोबाईल:-987914180 या फोटा,वीडियो हमें भेजे